बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

श्री उपमा सिंह	श्री उपमा सिंह
49, पॉकेट–11, सेक्टर–24, रोहिणी, दिल्ली	प्लॉट नं. 219, दूसरा तल, पॉकेट–5, सेक्टर–22, रोहिणी, नई दिल्ली–110085

महोदय,

सं.: श्री उपमा सिंह (उपर्युक्त यथाउल्लिखित) को जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने के लिए कारण बताओ नोटिस और इसके विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर

हम आपके अनुशीर्षक खाते का जिक्र करते हैं और आपको सूचित करने के लिए लिखते हैं कि ब्याज/किस्त का भुगतान न होने के कारण खाता दिनांक 30.04.2013 को बैंक बहियों में अनर्जक आस्ति हो गया।

हम आपको सूचित करते हुए लिखते हैं कि हमारी बैंक के जानबूझकर चूककर्ता पर अधिशासियों की समिति के दिशा–निर्देशों के अनुसार और आपकी चूकों और आचरण कृत्यों, फर्म/कर्जदार/जमानतियों द्वारा निष्पादित/किए गए विलेखों/दस्तावेजों एवं लिखत पर आधारित आपके खाते की संवीक्षा से विचार किया जाता है कि निम्नलिखित आधार पर आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार फर्म और इसके प्रप्राईअटर/जमानतियों को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में घोषित किया जाए:

1. बंधन के लिए बैंक को जमा हक विलेख रजिस्ट्रार कार्यालय से सत्यापन पर जाली हैं।
2. बैंक को जमा आईटीआर, वित्तीय विवरण, बैंक खाता विवरण उपलब्ध अभिलेखों से यथाप्रमाणित जाली हैं।
3. संपत्ति पर एक से अधिक वित्त किए गए हैं। यह पाया गया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एचबीएन हाऊसिंग फाईनेंस लि. ने भी उसी संपत्ति की प्रतिभूति के विरुद्ध, उपलब्ध अभिलेखों से यथाप्रमाणित, वित्तपोषण किया है।

आरबीआई दिशा–निर्देशों के अनुसार और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन, यदि आपको इच्छित हो, आखिर क्यों आपके खाते और आपको बैंक द्वारा जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत न किया जाए– पर हमारे अधिशासी निदेशक की अगुवाई वाली अधिशासी समिति के विचार हेतु इस पत्र की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपना निवेदन/प्रस्तुति भेज सकते हैं। आपके निवेदन/प्रस्तुति के मामले में जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने पर फैसला करने की व्यक्तिगत सुनवाई करना या नहीं करना समिति का अधिकार होगा।

कृपया नोट करें कि यदि आपको जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने की बैंक की इच्छा के विरुद्ध इस पत्र की तिथि से 15 दिनों के अंदर आपका कोई निवेदन/प्रस्तुति प्राप्त नहीं होती है तो बैंक आगे की कार्यवाही करेगा और आपके खाते को जानबूझकर चूककर्ता घोषित करेगा। बैंक को समाचार पत्र में जानबूझकर चूककर्ता का नाम व फोटो प्रकाशित करने का अधिकार होगा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक वसूली कार्रवाई शुरू करेगा।

यह सूचना जानबूझकर चूककर्ता पर अधिशासियों की समिति (सीओई) के निर्देशों के अनुसार जारी की गई है।

भवदीय,

जेडओएसएआरबी, नई दिल्ली **शाखा प्रबंधक**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

1. श्री विजय कुमार शर्मा	2. श्रीमती राज शर्मा
65ए, सीए अपार्टमेंट, शालीमार बाग, दिल्ली–110088	65ए, सीए अपार्टमेंट, शालीमार बाग, दिल्ली–110088

महोदय,

सं.: श्री विजय कुमार शर्मा और श्रीमती राज शर्मा (उपर्युक्त यथाउल्लिखित) को जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने के लिए कारण बताओ नोटिस और इसके विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर

हम आपके अनुशीर्षक खाते का जिक्र करते हैं और आपको सूचित करने के लिए लिखते हैं कि ब्याज/किस्त का भुगतान न होने के कारण खाता दिनांक 28.02.2013 को बैंक बहियों में अनर्जक आस्ति हो गया।

हम आपको सूचित करते हुए लिखते हैं कि हमारी बैंक के जानबूझकर चूककर्ता पर अधिशासियों की समिति के दिशा–निर्देशों के अनुसार और आपकी चूकों और आचरण कृत्यों, फर्म/कर्जदार/जमानतियों द्वारा निष्पादित/किए गए विलेखों/दस्तावेजों एवं लिखत पर आधारित आपके खाते की संवीक्षा से विचार किया जाता है कि निम्नलिखित आधार पर आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार फर्म और इसके प्रप्राईअटर/जमानतियों को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में घोषित किया जाए:

कर्जदार ने झूठे केवाईसी दस्तावेज, और झूठे संपत्ति कागजात/हक विलेख जमा किए और आवास ऋण प्राप्त किया और बैंक को धोका दिया। खाता आरबीआई दिशा–निर्देशों के अनुसार नकली/धोका घोषित किया गया है।

आरबीआई दिशा–निर्देशों के अनुसार और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन, यदि आपको इच्छित हो, आखिर क्यों आपके खाते और आपको बैंक द्वारा जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत न किया जाए– पर हमारे अधिशासी निदेशक की अगुवाई वाली अधिशासी समिति के विचार हेतु इस पत्र की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपना निवेदन/प्रस्तुति भेज सकते हैं। आपके निवेदन/प्रस्तुति के मामले में जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने पर फैसला करने की व्यक्तिगत सुनवाई करना या नहीं करना समिति का अधिकार होगा।

कृपया नोट करें कि यदि आपको जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने की बैंक की इच्छा के विरुद्ध इस पत्र की तिथि से 15 दिनों के अंदर आपका कोई निवेदन/प्रस्तुति प्राप्त नहीं होती है तो बैंक आगे की कार्यवाही करेगा और आपके खाते को जानबूझकर चूककर्ता घोषित करेगा। बैंक को समाचार पत्र में जानबूझकर चूककर्ता का नाम व फोटो प्रकाशित करने का अधिकार होगा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक वसूली कार्रवाई शुरू करेगा।

यह सूचना जानबूझकर चूककर्ता पर अधिशासियों की समिति (सीओई) के निर्देशों के अनुसार जारी की गई है।

भवदीय,

जेडओएसएआरबी, नई दिल्ली **शाखा प्रबंधक**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

मेसर्स सुदर्शन स्टील्स प्रा. लि.	श्री संदीप गोयल	श्रीमती बीना गोयल
28–32–33/34, दूसरा तल, भगवती मार्केट, पीपल महादेव, हौज काजी, दिल्ली–110006	फ्लैट नं. 5, एकलव्य अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं. 18/1 सेक्टर–13, रोहिणी, दिल्ली–110085	फ्लैट नं. 5, एकलव्य अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं. 18/1 सेक्टर–13, रोहिणी, दिल्ली–110085
मेसर्स सुदर्शन स्टील्स प्रा. लि. फ्लैट नं. 5, एकलव्य अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं. 18/1 सेक्टर–13, रोहिणी, दिल्ली–110085	**श्रीमती माया देवी गोयल** फ्लैट नं. 5, एकलव्य अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं. 18/1 सेक्टर–13, रोहिणी, दिल्ली–110085	**श्री प्रवीण गोयल** फ्लैट नं. 5, एकलव्य अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं. 18/1 सेक्टर–13, रोहिणी, दिल्ली–110085
श्रीमती माया देवी गोयल फ्लैट नं. 5, एकलव्य अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं. 18/1 सेक्टर–13, रोहिणी, दिल्ली–110085	----------	----------

महोदया/महोदय,

सं.: मेसर्स सुदर्शन स्टील्स, इसके निदेशक और जमानती, श्री संदीप गोयल, श्रीमती बीना गोयल, श्रीमती माया देवी गोयल और श्री प्रवीण गोयल (उपर्युक्त यथाउल्लिखित) को जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने के लिए कारण बताओ नोटिस और इसके विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर

हम आपके अनुशीर्षक खाते का जिक्र करते हैं और आपको सूचित करने के लिए लिखते हैं कि ब्याज/किस्त का भुगतान न होने के कारण खाता दिनांक 01.08.2013 को बैंक बहियों में अनर्जक आस्ति हो गया।

हम आपको सूचित करते हुए लिखते हैं कि हमारी बैंक के जानबूझकर चूककर्ता पर अधिशासियों की समिति के दिशा–निर्देशों के अनुसार और आपकी चूकों और आचरण कृत्यों, फर्म/कर्जदार/जमानतियों द्वारा निष्पादित/किए गए विलेखों/दस्तावेजों एवं लिखत पर आधारित आपके खाते की संवीक्षा से विचार किया जाता है कि निम्नलिखित आधार पर आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार फर्म और इसके प्रप्राईअटर/जमानतियों को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में घोषित किया जाए:

1. यूनिट की निवल बिक्री खाता कारोबार विवरण से मिलान नहीं होती है, खाता रिपोर्टों के विवरणों से यथाप्रमाणित, सभी व्यवसायिक लेन–देन नकद क्रेडिट खाते के माध्यम से नहीं किए गए थे, लेखापरीक्षित तुलनपत्र और खाता विवरणों से यथाप्रमाणित।
2. फर्म ने बैंक के साथ करार की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिना किसी व्यवसायिक लेन–देन के लिए संबंधित पार्टियों को पर्याप्त भुगतान किए हैं। फर्म द्वारा रु. 2.35 करोड़ की राशि अपनी एसोशिएट कंपनियों या संबंधित कंपनियों (मेसर्स कान्हा स्टील प्रा. लि.) को गई थी।

आरबीआई दिशा–निर्देशों के अनुसार और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन, यदि आपको इच्छित हो, आखिर क्यों आपके खाते और आपको बैंक द्वारा जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत न किया जाए– पर हमारे अधिशासी निदेशक की अगुवाई वाली अधिशासी समिति के विचार हेतु इस पत्र की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपना निवेदन/प्रस्तुति भेज सकते हैं। आपके निवेदन/प्रस्तुति के मामले में जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने पर फैसला करने की व्यक्तिगत सुनवाई करना या नहीं करना समिति का अधिकार होगा।

कृपया नोट करें कि यदि आपको जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने की बैंक की इच्छा के विरुद्ध इस पत्र की तिथि से 15 दिनों के अंदर आपका कोई निवेदन/प्रस्तुति प्राप्त नहीं होती है तो बैंक आगे की कार्यवाही करेगा और आपके खाते को जानबूझकर चूककर्ता घोषित करेगा। बैंक को समाचार पत्र में जानबूझकर चूककर्ता का नाम व फोटो प्रकाशित करने का अधिकार होगा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक वसूली कार्रवाई शुरू करेगा।

यह सूचना जानबूझकर चूककर्ता पर अधिशासियों की समिति (सीओई) के निर्देशों के अनुसार जारी की गई है।

भवदीय,

जेडओएसएआरबी, नई दिल्ली **मुख्य प्रबंधक**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

1. मेसर्स राधे पॉलीमर्स	2. श्री चूरा मणि
डीडीए फ्लैट नं. जीएच–5/7/682, पश्चिम विहार, दिल्ली–110087	डीडीए फ्लैट नं. जीएच–5/7/682, पश्चिम विहार, दिल्ली–110087

महोदय,

सं.: मेसर्स राधे पॉलीमर्स, इसके निदेशकों श्री चूरा मणि (उपर्युक्त यथाउल्लिखित) को जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने के लिए कारण बताओ नोटिस और इसके विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर

हम आपके अनुशीर्षक खाते का जिक्र करते हैं और आपको सूचित करने के लिए लिखते हैं कि ब्याज/किस्त का भुगतान न होने के कारण खाता दिनांक 31.03.2011 को बैंक बहियों में अनर्जक आस्ति हो गया।

हम आपको सूचित करते हुए लिखते हैं कि हमारी बैंक के जानबूझकर चूककर्ता पर अधिशासियों की समिति के दिशा–निर्देशों के अनुसार और आपकी चूकों और आचरण कृत्यों, फर्म/कर्जदार/जमानतियों द्वारा निष्पादित/किए गए विलेखों/दस्तावेजों एवं लिखत पर आधारित आपके खाते की संवीक्षा से विचार किया जाता है कि निम्नलिखित आधार पर आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार फर्म और इसके प्रप्राईअटर/जमानतियों को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में घोषित किया जाए:

1. कर्जदार द्वारा जमा आईटीआर वास्तविक नहीं थी, लेखापरीक्षित तुलनपत्र झूठे थे और गैर–अस्तित्व सनदी लेखाकार द्वारा तैयार किए गए थे। गोदाम का कोई रिकार्ड नहीं है जहाँ कर्जदार ने स्टॉक रखा था। कर्जदार ने स्टॉक का विवरण देते समय बैंक के निर्धारित प्रारूप में कभी स्टॉक का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया।
2. कर्जदार ने खाता मेसर्स सूर्या पॉलीमर्स के माध्यम से लेन–देन किए और उनके खाते से मेसर्स एम आर गुप्ता एंड कं. लि. (आईसीआईसीआई बैंक में खाता) के खाते में आरटीजीएस भेजा गया। खाता आरबीआई दिशा–निर्देशों के अनुसार नकली घोषित किया गया है।

आरबीआई दिशा–निर्देशों के अनुसार और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन, यदि आपको इच्छित हो, आखिर क्यों आपके खाते और आपको बैंक द्वारा जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत न किया जाए– पर हमारे अधिशासी निदेशक की अगुवाई वाली अधिशासी समिति के विचार हेतु इस पत्र की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपना निवेदन/प्रस्तुति भेज सकते हैं। आपके निवेदन/प्रस्तुति के मामले में जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने पर फैसला करने की व्यक्तिगत सुनवाई करना या नहीं करना समिति का अधिकार होगा।

कृपया नोट करें कि यदि आपको जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने की बैंक की इच्छा के विरुद्ध इस पत्र की तिथि से 15 दिनों के अंदर आपका कोई निवेदन/प्रस्तुति प्राप्त नहीं होती है तो बैंक आगे की कार्यवाही करेगा और आपके खाते को जानबूझकर चूककर्ता घोषित करेगा। बैंक को समाचार पत्र में जानबूझकर चूककर्ता का नाम व फोटो प्रकाशित करने का अधिकार होगा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक वसूली कार्रवाई शुरू करेगा।

यह सूचना जानबूझकर चूककर्ता पर अधिशासियों की समिति (सीओई) के निर्देशों के अनुसार जारी की गई है।

भवदीय,

जेडओएसएआरबी, नई दिल्ली **मुख्य प्रबंधक**

प्रपत्र–'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

दिवाला और शोधन अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	**कार्पोरेट देनदार का नाम**	**मदर्स प्राइड डेयरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** (एमएसएमई वाइड उद्यम रजिस्ट्रेशन नं. उद्यम–यूपी–65–0000053)
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	30.09.2014
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज –दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999DL2014PTC272213
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय (आरओसी के रिकॉर्ड के अनुसार):** जी –41, ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली –110008, भारत **मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी**: खसरा नंबर 312 और 314, आनंदपुर ब्लॉक बहजोई, डिस्ट्रिक्ट–संभल, उत्तर प्रदेश –244410 वेबसाइट: www.mpdipl.co.in
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	13.11.2019
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	04.11.2020 (पहले जारी की गई तारीखें: 02.02.2020, 10.07.2020 और 10.08.2020)
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता:	**www.mpdipl.co.in** और **cirp.motherspride@gmail.com** पर ई–मेल भेजकर भी जानकारी मांगी जा सकती है
9.	धारा 29क के अधीन लागू अग्राह्यता के	**cirp.motherspride@gmail.com** पर ई–मेल भेजकर जानकारी मांगी जा सकती है
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	18.11.2020
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	21.11.2020
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	26.11.2020
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	02.12.2020
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	23.11.2020
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया विनियमन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36बी (1) के तहत इसे प्राप्त करने के लिए पात्रता सभी संभावित समाधान आवेदकों (PRA) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जाएगी
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	22.12.2020
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	समाधान प्रोफेशनल यानी खंडेलवाल जैन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, जी–8 और 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली – 110002 के पते पर सीलबंद लिफाफे में पोस्ट से या व्यक्तिगत डिलीवरी करके, एक ईमेल के साथ
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	31.12.2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	**आकाश सिंघल** **पंजीकरण सं.**: IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**आकाश सिंघल, समाधान प्रोफेशनल** खंडेलवाल जैन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी –8 और 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली – 110002 **ईमेल**: akash@kjco.net
21.	पता और ई–मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	खंडेलवाल जैन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी –8 और 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली – 110002 **ईमेल**: cirp.motherspride@gmail.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	विवरण www.mpdipl.co.in पर उपलब्ध हैं या cirp.motherspride@gmail.com पर ई–मेल भेजकर मांगे जा सकते हैं
23.	प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि	**04.11.2020**

नोट: कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी होने की अनुमानित तारीख 15 नवंबर 2020 है। इसके अलावा, 31 अक्तूबर, 2020 को हुई अपनी बैठक में सीओसी के अनुमोदन पर, अधिनिर्णय प्राधिकरण के समक्ष दायर की जाने वाली कारपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के पूरा होने की तारीख से 60 दिनों के अपवर्जन/विस्तार के लिए आवेदन किया गया है। इस प्रकार यहां उल्लिखित तिथियां न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन हैं और यदि माननीय एनसीएलटी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है, तो सीआईआरपी के पूरा होने की अनुमानित तिथि 14 जनवरी 2021 होगी।

हस्ता/–
आकाश सिंघल
मदर्स प्राइड डेयरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेडके लिए समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279
कार्यालय पता: जी –8 और 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली – 110002
फोन: 011-23370091 **ईमेल**: cirp.motherspride@gmail.com, akash@kjco.net

तिथि: 04.11.2020
स्थान: नई दिल्ली

SHIVAM AUTOTECH LTD

शिवम ऑटोटेक लिमिटेड

सीआईएन: L34300HR2005PLC081531
पंजीकृत कार्यालय: 10, पहली मंजिल, टॉवर–ए, एमार डिजिटल ग्रीन्स, सेक्टर–61, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम, हरियाणा – 122102
टेलीफोन: 0124-4698700; फैक्स: 0124-4698798
ई–मेल: info@shivamautotech.com; वेबसाइट: www.shivamautotech.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 एवं 33 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक **सोमवार, 09 नवम्बर, 2020** को आयोजित की जाएगी जिसमें, अन्य व्यवसायिक विषयों के साथ ही, कम्पनी के 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन एवं अभिलेख में प्राप्त किया जाएगा।

सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.shivamautotech.com एवं बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
कृते **शिवम ऑटोटेक लिमिटेड**
हस्ता./–
समता बजाज
कम्पनी सचिव
(सदस्यता संख्या 50269)

दिनांक: 3 नवम्बर 2020
स्थान : गुरुग्राम

ACME RESOURCES LTD.

Regd. Office : 984, 9 th Floor Aggarwal Cyber Plaza – II, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi – 110034

Notice is hereby given that pursuant to regulation 29 of SEBI (Listing obligation & Disclosure requirements) regulations 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company M/s Acme Resources Limited will be held on Thursday, the 12 th day of November 2020 at 3:00 P.M. at Registered office of the Company at 984, 9 th Floor, Aggarwal Cyber Plaza – II, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034 to inter-alia, consider and take on record the Consolidated and Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and half year ended 30 th September 2020.

By order of the Board,
for **Acme Resources Limited**
03 rd November, 2020 sd/- Managing Director

भवगती ऑक्सीजन लिमिटेड

(CIN: L74899HR1972PLC006203)
पंजीकृत कार्यालय: सेक्टर 25, प्लॉट-5, बल्लभगढ़ - 121 004, हरियाणा

सूचना

स्टॉक एक्सचेंज के साथ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए कंपनी के अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने एवं उस पर अनुमोदन हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 67, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016 में बृहस्पतिवार, 12 नवम्बर, 2020 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित की जाएगी। उपरोक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.globalbol.com पर भी उपलब्ध है तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता/-
एस. के. शर्मा
अध्यक्ष

स्थान : कोलकाता
तारीख : 02.11.2020

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

शाखा : सेम दिल्ली शाखा

पहला तल, 17, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली
फोन नं. : 011–23364689, (मो.नं. 9324168466)
ईमेल – br.del_recovery@allahabadbank.in

पंजीयन : SAM DELHI/2020-21/2262 दिनांक : 03.11.2020

बिक्री की सूचना

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन (2002 के नं. 54) के तहत बैंक को गिरवी रखी अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु सीलबंद निविदाएं आमंत्रित

(निजी संधि के तहत)

जबकि **मेसर्स साई सेल्स कॉरपोरेशन** (कर्जदार), **भागीदार श्री नितिन चावला और भागीदार श्री संजय कपूर** और खाते के गयारंटर **श्री नितिन चावला पुत्र शिव कुमार चावला और श्री संजय कपूर पुत्र मदन मोहन कपूर** (गयारंटर/बंधकर्ता) ने **इंडियन बैंक (तत्कालीन इलाहाबाद बैंक) से दिनांक 04.03.2020 के अनुसार गजट नोटिफिकेशन नं. 133 (GSR-156E) दिनांक 01.04.2020 के प्रभाव से पैसा उधार लिया है।**

जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत सूचना जारी की है और उसके बाद प्रभारित/गिरवी रखी सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है। और **दिनांक 23.11.2020 को समय : सुबह 11 बजे** पर निजी संधि के तहत, **सम्पत्ति को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8 और 9 के तहत नीचे वर्णित, ''जो है जहां है'', ''जैसा कि है'' और जो कुछ भी है'', के आधार पर बेचने का फैसला किया गया है।** स्थान इंडियन बैंक : सेम दिल्ली शाखा, पहला तल, 17 पालियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली–110001.

खाते का नाम/प्रॉप्राइटर और गयारंटरो	बिक्री के तहत प्रभारित सम्पत्तियों का विवरण	बैंक की बकाया राशि और दिनांक	आरक्षित और अग्रिम जमा राशि	प्रत्याभूत ऋण दाता को ज्ञात भार का विवरण	कोई भी ऐसी वस्तु जो ई–नीलामी के तहत लगाई गई सम्पत्ति की प्रवृत्ति और मूल्य का आंकलन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे क्रेता के लिए उचित मानता है।
(अ) उधारकर्ता का नाम और पता पिन कोड के साथ **(1) मेसर्स सांई सेल्स कॉर्पोरेशन (कर्जदार)** 842–843(पुराना) नया नं. 580–581, छाता शाह शीरिन फरशखाना मार्केट श्रद्धानंद मार्केट, दिल्ली–110006 **श्री संजय कपूर (भागीदार) पुत्र श्री मदन मोहन कपूर : पता –** 18/6, तीसरा तल, वेस्ट पटेल नगर,नई दिल्ली–110008 **श्री नीतिन चावला (भागीदार) पुत्र शिव कुमार चावला : पता–**15/23 तीसरा तल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008 **(ब) गयारंटर/बंधकर्ता का नाम और पता सहित** **1. श्री संजय कपूर पुत्र श्री मदन मोहन कपूर : पता–**18/6, तीसरा तल, वेस्ट पटेल नगर,नई दिल्ली–110008 **2. श्री नीतिन चावला (भागीदार) पुत्र शिव कुमार चावला : पता–**15/23 तीसरा तल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008 **(गयारंटर/बंधकर्ता)** **(स) बैंक की शाखा का नाम जहां खाता है** **स्ट्रेस्ड एसेस्टस मेनेजमेंट (सेम) दिल्ली शाखा, दिल्ली** **पता :** पहला तल, 17 पार्लियामेंट स्ट्रिट, नई दिल्ली–110001	**(अ) टाइटल डीड धारक का नाम** **श्री नीतिन चावला पुत्र शिव कुमा र चावला और श्री संजय कपूर पुत्र मदन मोहन कपूर** **(ब) बिक्री हेतु सम्पत्ति का पता** दुकान नं. 1, 2 व 3 जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 898.25 वर्ग फुट सम्पत्ति सं. 842–843 (पुराना) नई सं. 580–581 भूतल पर बिना छत अधिकार फ्री होल्ड सम्पत्ति के बाहर छाता शाह शीरिन फरशखाना मार्केट श्रद्धानंद मार्केट, दिल्ली–110006 **(स) विवरण क्षेत्रफल माप और प्रत्याभूत प्रभारित बिक्री की सीमाएं** **दुकान नं.** 1, 898.25 वर्ग फुट में से क्षेत्रफल 362.278 वर्ग फुट, सम्पत्ति नं. 842–843 (पुराना) नया नं. 580–581 भूतल पर बिना छत अधिकार फ्री होल्ड सम्पत्ति के बाहर छाता शाह शीरिन फरशखाना मार्केट श्रद्धानंद मार्केट, दिल्ली–110006 **सीमांकन : पूर्व :** मस्जिद, **पश्चिम :** गली/सड़क, **उत्तर :** सम्पत्ति नं. 579, **दक्षिण :** अन्य दुकान **दुकान नं.** 2, 898.25 वर्ग फुट में से क्षेत्रफल 267.986 वर्ग फुट, सम्पत्ति नं. 842–843 (पुराना) नया नं. 580–581 भूतल पर बिना छत अधिकार फ्री होल्ड सम्पत्ति के बाहर (दो भाग में विभाजित) छाता शाह शीरिन फरशखाना मार्केट श्रद्धानंद मार्केट, दिल्ली–110006 **सीमांकन : पूर्व :** अन्य सम्पत्ति, **पश्चिम :** गली, **उत्तर :** निजी दुकान 1, एमपीएल नं. 580–581, **दक्षिण :** निजी दुकान 3, एमपीएल नं. 580–581 **दुकान नं.** 3, 898.25 वर्ग फुट में से क्षेत्रफल 267.986 वर्ग फुट, सम्पत्ति नं. 842–843 (पुराना) नया नं. 580–581 भूतल पर बिना छत अधिकार फ्री होल्ड सम्पत्ति के बाहर (दो भाग में विभाजित) छाता शाह शीरिन फरशखाना मार्केट श्रद्धानंद मार्केट, दिल्ली–110006 **सीमांकन : पूर्व :** अन्य सम्पत्ति, **पश्चिम :** गली, **उत्तर :** निजी दुकान 2, एमपीएल नं. 580–581, **दक्षिण :** अन्य दुकान	**(अ) बैंक की बकाया राशि** रु. 3,67,50,709/– (रुपये तीन करोड़ सड़सठ लाख पचास हजार सात सौ नौ मात्र) (दिनांक 26.10.2020 तक बाकी) **(ब) ऊपर दिनांक 26.10.2020 तक का ब्याज और अन्य शुल्क शामिल हैं** (प्राप्ति की दिनांक तक का ब्याज और शुल्क प्रभार और खर्चे शामिल है) **(स) मांग सूचना अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी अधिनियम की दिनांक 18.04.2018** **(द) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत भौतिक कब्जा लेने की दिनांक 14.10.2019**	**आरक्षित राशि रु. 150 लाख (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) न्यूनतम बोली वृद्ध राशि 10,000 के साथ** **अग्रिम जमा राशि सिल बंद निविदाओं में अंकित राशि का 10 प्रतिशत**	(अ) स्थानीय स्वशासन की बकाई राशि (अगर कोई बैंक को ज्ञात हो) (अ1) डीडीए को बकाया, अगर कोई है तो क्रेता(ओं) (अ2) सम्पत्तिकर बैंक को ज्ञात नहीं (अ3) बिजली बिल बैंक को ज्ञात नहीं (अ 4) नल कर/प्रभार बैंक को ज्ञात नहीं। (ब) बैंक को ज्ञात व अज्ञात स्थानीय स्वशासन के बकाया के अलावा	**भौतिक**

सील निविदाएं जमा करने की अन्तिम दिनांक और समय : 21 नवम्बर 2020, समय : सांय 05 बजे तक
सील निविदाएं खुलने की दिनांक और समय : 23 नवम्बर 2020, समय सुबह 11 बजे
सील निविदाएं जमा और खुलने की जगह और स्थान : **स्ट्रेस्ड एसेटस मैनेजमेंट (सेम) दिल्ली शाखा** **पता : सेम दिल्ली शाखा, पहला तल, 7, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001**

नियम और शर्तें

##यह नीलामी 150.10 लाख रुपये (एक करोड़ पचास लाख दस हजार मात्र) के मौजूद